न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय राजस्व पखवाडा स्थान रणधीसर

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 83 / 2025

निर्णय दिनांक : 30.06.2025

1. कुंदन मल पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोथियावास तहसील सुजानगढ़ ....प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू ....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. **श्री ओमप्रकाश घोटिया अधिवक्ता प्रार्थी।**
2. **अप्रार्थी राजपैरोकार।**

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रोही ग्राम बोथियावास तहसील सुजानगढ़ का निवासी है जिला चूरू के निवासी है जिनके रोही ग्राम बोथियावास तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 158 के खसरा संख्या 154, 162, 170, 312 / 45, व 332 / 145 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुनणाराम पुत्र पन्नाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, परिवार का राशन कार्ड आदि में कुंदन मल पुत्र पन्ना राम दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कुनणाराम पुत्र पन्नाराम का सही नाम कुन्दनमल पुत्र पनाराम है। कुनणाराम पुत्र पन्नाराम व कुन्दनमल पुत्र पन्नाराम दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का

नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुनणाराम पुत्र पन्नाराम के स्थान पर कुंदनमल पुत्र पनाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, परिवार का राशन कार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम में कुंदन मल पुत्र पना राम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा कैम्प स्थान रणधीसर में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम बोथियावारा तहसील सुजानगढ़ में पुराना खाता संख्या 143 एवं नया खाता संख्या 158 में अंकित खेत खसरा संख्या 154 तादादी 1.1001 है0, खसरा संख्या 162 तादादी 0.6448 है0, खसरा संख्या 170 तादादी 0.9610 है0, खसरा संख्या 312/45 तादादी 3.0727 है0, ख0नं0 332/145 तादादी 1.8841 है0 खातेदारी में दर्ज खातेदार कुनणाराम पुत्र पन्नाराम स्थान पर कुंदन मल पुत्र पना राम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा कैम्प स्थान रणधीसर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़, जिला-चूरू